

मि०नं० 903 / दावा / 2019 कैलाशबाई बनाम पारवतीबाई

30/10/2019

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित है। वाद का अंतिम रूप से निर्णय हो चुका है। ऐसे में अब इस प्रार्थना पत्र पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

अतः प्रार्थना-पत्र, प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर०टी०एक्ट 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(Handwritten signature)

30-10-19

उपखण्ड अधिकारी
जानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)